रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092021-230055
CG-DL-E-29092021-230055

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 2021/आश्विन 7, 1943
No. 556] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 2021/ASVINA 7, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 673(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश व्यापार महानिदेशालय (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विदेश व्यापार महानिदेशालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेश व्यापार महानिदेशालय, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगें।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन–मैट्रिक्स में स्तर**–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इसके साथ संलग्न वेतन–मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं, आदि**–उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले वही होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिनका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह इसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन—मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	411* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। पश्चिमी क्षेत्रः 179 दक्षिण क्षेत्रः 80 पूर्वी क्षेत्रः 65 उत्तरी क्षेत्रः 87 कुल : 411*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित/ अननुसचिवीय	लेवल—2 (19900—63200/—रु)	अचयन	18 से 27 वर्षों के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए चालीस वर्ष तक की छूट)। **टिप्पणः** आयु—सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं है, आयु—सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख, आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी)।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष योग्यता। (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रतिमिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रतिमिनट की टाइपिंग गति (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की–डीप्रेशन पर 10500 के डीपीएच/ 9000 केडीपीएच के अनुरूप 35 शब्द प्रतिमिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)। परंतु एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो अन्यथा लिपिक पद धारण करने के योग्य है, किंतु टंकण में उक्त अर्हता नहीं रखता है, इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकता है कि विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से जुड़ा चिकित्सा बोर्ड, या जहां ऐसा कोई बोर्ड नहीं है वहां सिविल सर्जन इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करता है कि उक्त विकलांग व्यक्ति टंकण करने के योग्य नहीं है।	हां, स्तंभ (10) में इंगित सीमा तक।	दो वर्ष	(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ii) रिक्तियों का 10%, विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर वेतन–मैट्रिक्स में स्तर–1 में समूह 'ग' कर्मचारी द्वारा भरा जाएगा, जिसके पास 12वीं कक्षा पास या समकक्ष योग्यता है और स्तर–1 (18000–56900 /– रु.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। पात्रता के लिए अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष)। **टिप्पणः** यदि परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों की संख्या खण्ड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो अधिक संख्या वाले कर्मचारी पर बाद के वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पहले की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों से पहले विचार किया जाए। (iii) रिक्तियों का 5% समूह 'ग' कर्मचारियों से वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर भरा जाएगा जिन्होंने स्तर–1 (18000–56900/ –रु.) के पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन श्रेणी द्वारा भर्ती के मामले में जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उनकी संरचना ?	वे परिस्थितियां जिसमें भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
जैसा कि स्तंभ 10 में कहा गया है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति/पुष्टिकरण पर विचार के लिए) जिनमें सम्मिलित हैं:– 1. संबंधित क्षेत्र के संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार –अध्यक्ष; 2. मुख्यालय के उप महानिदेशक (प्रशासन) –सदस्य; 3. संबंधित क्षेत्र के उप महानिदेशक (प्रशासन) –सदस्य; 4. क्षेत्रीय मुख्यालय स्थान पर स्थित किसी भी केन्द्रीय सरकार कार्यालय से अवर सचिव या समकक्ष –सदस्य; 5. संबंधित क्षेत्र से सहायक महानिदेशक या विदेश व्यापार विकास अधिकारी (प्रशासन) –सदस्य।	लागू नहीं।

[फा.सं. ए–12018/4/2018/एचआरडी–II]

सुहृत कुमार महापात्र, उप महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2021

G.S.R. 673(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Foreign Trade, (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Directorate General of Foreign Trade, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Directorate General of Foreign Trade, (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix. –** The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall not be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Post.	Classi-fication	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lower Division Clerk.	411* (2021) *Subject to variation dependent on workload. Western Zone : 179 Southern Zone: 80 Eastern Zone : 65 Northern Zone: 87 Total : 411*	General Central Service, Group 'C', Non-gazetted/ Non-ministerial	Level - 2 (Rs. 19900 – 63200/-)	Non-selection.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age- limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commi-ssion, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th Class or equivalent qualifications from a recognised Board or University. (ii) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/ 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word)	Yes, to the extent indicated in Col. (10).	Two years.	(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff in level-1(Rs.18000-56900/-) in the pay matrix and who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in level-1 (Rs.18000-56900/-), on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age-limit for eligibility is 45 years. (50 years for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes). **Note:** If more of such employees

Provided that a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typing may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for handicapped, or where there is no such Board, the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in fit condition to be able to type.			than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum- fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in posts in level-1 (Rs.18000-56900/-).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
As stated in column 10.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion / confirmation) consisting of :-** 1. Joint Director General of Foreign Trade of the Zone concerned - Chairman; 2. Deputy Director General (Administration) of the Headquarters - Member; 3. Deputy Director General (Administration) of the Zone concerned. - Member; 4. An officer of the rank of Under Secretary or equivalent from any of the Central Government Office situated at Zonal Headquarters location - Member; 5. Assistant Director General or Foreign Trade Development Officer (Administration) of the Zone concerned - Member.	Not applicable.

[F.No. A-12018/4/2018/HRD-II]

SUHRUT KUMAR MOHAPATRA, Dy. Dir. General of Foreign Trade

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.29 22:10:03 +05'30'